न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—280/2026
हथियावॉं थाना कांड सं0—17/26
बिहार राज्य बनाम् राकेश कुमार एवं अन्य।

1. राकेश कुमार, पे0—दिलीप पासवान, उम्र लगभग—37 वर्ष।
2. साबीर पासवान, पे0—स्व0 रामोतार पासवान, उम्र लगभग—39 वर्ष।
दोनों साकिन—फरीदपुर, थाना—हथियावॉं, जिला—शेखपुरा।
....आवेदकगण।

<u>वनाम</u>

बिहार सरकार .... विपक्षी।
आवेदकगण की ओर से—श्री रणविजय कुमार, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी की ओर से— श्री अरविंद कुमार, विद्वान विशेष लोक अभियोजक।

<u>आ दे श</u>

16.03.2026 काराधीन अभियुक्तगण 1. राकेश कुमार एवं 2. सबीर कुमार की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जो कि 1. राकेश कुमार दिनांक 06.03.2026 एवं 2. सबीर कुमार दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। हथियावॉं थाना कांड संख्या—17/2026 के अंतर्गत धारा 30(a), 30(c) & 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 से उद्भूत है तथा इसी न्यायालय में लम्बित है, सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत आवेदन को आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संचालित किया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि ये पूर्णतः निर्दोष हैं। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि इन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण के द्वारा पूर्व में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त 1.राकेश कुमार के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावे एक हथियावॉं थाना दैनिकी संख्या—585/25 का आपराधिक इतिहास दर्ज है तथा अभियुक्त 2. सबीर पासवान के विरुद्ध पूर्व में इस केस के अलावे अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। प्राथमिकी धारा 30(a), 30(c) & 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 के अंतर्गत दर्ज किया गया है, जो कि आवेदकगण के विरुद्ध लागू नहीं होता है। आवेदकगण को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदकगण को इस मामले से कोई संबंध नहीं है। आवेदकगण पूरी तरह से निर्दोष हैं। आवेदकगण हिरासत में है और उनके परिवार के सदस्य उनके श्रम पर आश्रित है और पैसा कमाते हैं। आवेदकगण जमानत का विशेषाधिकार का दुरूपयोग नहीं करेंगे। आवेदकगण आपके आदेशानुसार जमानत बांड प्रस्तुत करने को तैयार है। आवेदकगण 1. राकेश कुमार दिनांक 06.03.2026 एवं 2. सबीर कुमार दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। अतः इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाय।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः— राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0—280/2026
हथियावॉ थाना कांड सं0—17/26
बिहार राज्य बनाम् राकेश कुमार एवं अन्य।

लगातार

16.03.2026 इसके विपरीत, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि उक्त अभियुक्त का जमानत आवेदन खारिज किया जाए।

उभयपक्षों को सुना। अभियोजन का मामला है कि हथियावॉ थाना दिनांक 05.03.2026 को समय करीब 17:30 बजे सशस्त्र बल एवं टी0सी0 महिला बल एवं चालक के साथ सरकारी वाहन से संध्यागश्ती में थाना से प्रस्थान किया था, गश्ती के क्रम में समय करीब 20:00 बजे सूचना मिली कि फरीदपुर गॉव में साबीर पासवान के द्वारा अवैध शराब का निर्माण एवं बिक्री किया जा रहा है। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ग्राम—फरीदपुर के लिए प्रस्थान किया, समय करीब 20:30 बजे ग्राम फरीदपुर पहुंचा तत्पश्चात साबीर पासवान, पे0—स्व0 रामअवतार पासवान, सा0—फरीदपुर, थाना—हथियावॉ, जिला—शेखपुरा के घर का घेराबंदी करना प्रारंभ किया तो पुलिस बल को देखकर एक युवक घर से चारदीवारी फांद कर भाग तथा दूसरा युवक भागने का प्रयास किया तो पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। पकड़ाये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम 1. राकेश कुमार, पे0—दिलीप पासवान, उम्र लगभग—37 वर्ष, साकिन—फरीदपुर, थाना—हथियावॉ, जिला—शेखपुरा बताया एवं भागने वाला व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो 2. साबीर पासवान, पे0—स्व0 रामोतार पासवान, उम्र लगभग—39 वर्ष, साकिन—फरीदपुर, थाना—हथियावॉ, जिला—शेखपुरा बताया। विधिवत नियमों का पालन करते हुए साबीर पासवान के घर का तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में घर के ऑगन में मिट्टी के चुल्हे पर देशी शराब बनाया जा रहा था, जहॉ से एक हरे रंग का 2 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के बोतल में पूरा भरा हुआ देशी चुलाई शराब बरामद हुआ तथा एल्युमिनियम का छोटा तसला 01 एवं एल्युमिनियम का एक शराब बनाने का उपकरण, स्टील का लोटा, उजला रंग का प्लास्टिक का बाल्टी बरामद हुआ। विधिवत नियमों का पालन करते हुए बरामद प्रदर्श को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया गया एवं गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त राकेश कुमार, पे0—दिलीप पासवान को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त राकेश कुमार, पे0—दिलीप पासवान से पूछताछ करने के क्रम में मुंह से शराब पीने जैसा दुर्गन्ध आ रही थी तो थाना पहुंचकर ब्रेथ एनालाईजर से जांच किया तो शराब पीने की पुष्टि हुई, जिसमें शराब की मात्रा—85.4mg/100ml पाया गया।

न्यायालय : अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
उपस्थितिः– राकेश कुमार रजक
जमानत आवेदन सं0–280/2026
हथियावॉं थाना कांड सं0–17/26
बिहार राज्य बनाम् राकेश कुमार एवं अन्य।

लगातार

16.03.2026 अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह विदित होता है कि प्राथमिकी धारा 30(a), 30(c) & 37 Bihar Prohibition & Excise (Amendment) Act 2022 के अंतर्गत दर्ज किया गया। अभियुक्तगण इस वाद में 1. राकेश कुमार दिनांक 06.03. 2026 एवं 2. सबीर कुमार दिनांक 07.03.2026 से काराधीन है। इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

अतः उक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकगण को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदकगण की ओर से दाखिल उक्त जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए आवेदकगण की ओर से दस हजार रूपये के जमानत बंधपत्र एवं उसी समान राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है। साथ ही अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि एक जमानतदार सगे–संबंधी होंगे तथा इस आशय का अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे कि––

1. इस तरह की घटना में दुबारा सम्मिलित नहीं होंगे।
2. आवेदकगण आरोप गठन तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।
3. अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने पर अभियोजन आग्रहनुसार इनका बंधपत्र खंडित कर दिया जाएगा।

लेखापित

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक 16–03–2026.

Date of Judgment/ Order	16–03–2026
Date of Reserving Judgment/Order	16–03–2026
Uploading Date	17–03–2026
Uploaded by	Naveen Kumar Chaudhary.